6/20 136 L.R.Ac श्रीमति चन्दी बनाम लैण्ड होल्डर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13-8-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया एवं लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० हैं। बहस प्रा०पत्र 136 L.R. Act सुनी गई। उभयपक्ष गिरदावर व पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी व नक्शा ट्रेस मे दुरुस्ती कराने पर सहमत हैं। अतः प्रा०पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का व ILR हल्का द्वारा दि० 12-7-2020 को तैयार की गई रिपोर्ट व जमाबंदी ग्राम टोकसी में इन्द्राज दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
/2020	6.3.2020	13.8.2020

श्रीमती इन्द्री पत्नी जिन्सी बैरवा निवासी ढाणी सूरजपुरा टोकसी तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थिया

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, एडवोकेट प्रार्थिया की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 27.11.2007 को आराजी ख0न0 1568 रकबा 1.69 है0 ग्राम टोकसी मे से 0.14 है0 भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदार रामचरण, शेरसिंह, धर्मसिंह, रूपसिंह, धनसिंह, राजाराम, रोहिताश, राजवीर, मुकेश व श्रीमती मंगली बेबा रामस्वरूप, रमेश, अमृतलाल, रामकेश, सुरेश व इन्द्री से क्रय की थी। खरीद की गई भूमि को विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 551 प्रार्थिया के नाम खोला जा चुका है परन्तु नक्शा ट्रेस मे प्रार्थिया द्वारा खरीदी गई भूमि को सही रूप से सही स्थान पर इन्द्राज नही किया गया है। जिसके कारण विक्रय पत्र एवं नक्शा ट्रेस दोनों में भूमि अलग अलग स्थान पर दर्शित हो गई है। इसकी तरमीम किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0नं0 1568 ग्राम टोकसी में 14 एयर भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस में मुताबिक विक्रयपत्र की जावे एवं गलत की गई तरमीम की दुरूस्ती फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर ... तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब के रूप ... हलका व गिरदावर हलका टोकसी से मौके की रिपोर्ट ... है ... रिपोर्ट को अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/40 दिनांक 17.7.2020 ... इस न्यायालय को भिजवाया है। अप्रार्थी ने प्रस्तुत रिपोर्ट में मौके के अनुसार खसरा नम्बरों की स्थिति को नक्शा में अलग अलग रंगो दर्शाया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:37 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम टोकसी खाता संख्या नया 122, 356, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 14.12. 2007, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थिया एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी सुनी गई।

उभयपक्ष ने रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी ने सम्बन्धित गिरदावर व पटवारी हलका से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की । अपनी रिपोर्ट में गिरदावर व पटवारी हलका द्वारा लठ्ठाशीट में तरमीम की स्थिति व मौके पर होने वाली तरमीम की स्थिति को दर्शाया है एवं तरमीम की गलती सेग्रीगेशन के वक्त आईटीक्यूआई मैप के दोहरान से होना बताया है। सेग्रीगेशन के दौरान हुई गलती को प्रार्थिया दुरूस्त कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं पटवारी हलका व गिरदावर हलका द्वारा दिनांक 12.7.2020 को तैयार की गई रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे में विभिन्न रंगो से दर्शित नम्बरों के अनुसार नक्शा ट्रेस में व जमाबंदी ग्राम टोकसी में इन्द्राज दुरूस्ती करने का आदेश दिया जाता है। यह रिपोर्ट निर्णय का हिस्सा रहेगी। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.8.202[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:28:37 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)